



हर्ष विद्या मन्दिर (पी०जी०) कॉलेज, रायसी, हरिद्वार

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त (Aided) उपरोक्त महाविद्यालय में निम्न पदों पर आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

पद नाम	पद	आरक्षण
प्राचार्य	01	अनारक्षित
असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र)	01	अनुसूचित जाति
असिस्टेंट प्रोफेसर (वनस्पति विज्ञान)	01	अनारक्षित

वेतनमान:-

प्राचार्य वेतनमान- 37400-67000, ग्रेड वेतन- 10000

असिस्टेन्ट प्रोफेसर वेतनमान- 15600-39100, ग्रेड वेतन- 6000

Educational Qualification:-

College Principal

A. Eligibility:

(i) Ph.D. degree

(ii) Professor/Associate Professor with a total service/ experience of at least fifteen years of teaching/ research in Universities, Colleges and other institutions of higher education.

(iii) A minimum of 10 research publications in peer-reviewed or UGC-listed journals.

(iv) A minimum of 110 Research Score as per Appendix II, Table 2

B. Tenure

i) A College Principal shall be appointed for a period of five years, extendable for another term of five years on the basis of performance assessment by a Committee appointed by the University, constituted as per these regulations.

ii) After the completion of his/her term as Principal, the incumbent shall join back his/her parent organization with the designation as Professor and in the grade of the Professor.

Assistant Professor:

Eligibility (A or B) :

A.

i) A Master's degree with 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale wherever the grading system is followed) in a concerned/relevant/allied subject from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign university.

60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]

ii) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC or the CSIR, or a similar test accredited by the UGC, like SLET/SET or who are or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be exempted from NET/SLET/SET :

Provided, the candidates registered for the Ph.D. programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/Bye-laws/Regulations of the Institution awarding the degree and such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges/Institutions subject to the fulfillment of the following conditions :-

- a) The Ph.D. degree of the candidate has been awarded in a regular mode;
- b) The Ph.D. thesis has been evaluated by at least two external examiners;
- c) An open Ph.D. viva voce of the candidate has been conducted;
- d) The Candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work, out of which at least one is in a refereed journal;
- e) The candidate has presented at least two papers based on his/her Ph.D work in conferences/seminars sponsored/funded/supported by the UGC / ICSSR/ CSIR or any similar agency.

The fulfilment of these conditions is to be certified by the Registrar or the Dean (Academic Affairs) of the University concerned.

Note: NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC, like SLET/SET.

OR

B. The Ph.D degree has been obtained from a foreign university/institution with a ranking among top 500 in the World University Ranking (at any time) by any one of the following: (i) Quacquarelli Symonds (QS) (ii) the Times Higher Education (THE) or (iii) the Academic Ranking of World Universities (ARWU) of the Shanghai Jiao Tong University (Shanghai).

Note: The Academic score as specified in Appendix II (Table 3A) for Universities, and Appendix II (Table 3B) for Colleges, shall be considered for short-listing of the candidates for interview only, and the selections shall be based only on the performance in the interview

आयु सीमा: उपरोक्त सभी पदों हेतु राज्य सरकार/यू.जी.सी. के नियमानुसार।

आवेदक अपना आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट—www.hvmraisi.com से डाउनलोड कर समस्त शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों की 3-3 स्वप्रमाणित छाया प्रतियां, 3 रंगीन पासपोर्ट फोटो, स्वपता लिखा लिफाफा जिस पर ₹0 42/- के डाक टिकट लगे हों सहित, व निर्धारित आवेदन शुल्क (सामान्य/ओ.बी.सी./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ₹0 1000/- अनु0 जाति/अनु0जनजाति ₹0 600/-) का डिमांड ड्राफ्ट सचिव, हर्ष विद्या मन्दिर एजुकेशनल ट्रस्ट, रायसी, हरिद्वार के नाम देय हो, महाविद्यालय में स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक— 07 जनवरी, 2025 तक प्राप्त आवेदन-पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। आरक्षण का लाभ उत्तराखण्ड के मूल निवासियों के लिए ही मान्य होगा।

आवेदन-पत्र भेजने का पता:

अध्यक्ष/सचिव,
हर्ष विद्या मन्दिर (पी0जी0) कॉलेज
रायसी, जनपद— हरिद्वार,
उत्तराखण्ड - 247671

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. आवेदन-पत्र स्वीकार किए जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के पास अनिवार्य अर्हता धारित करना आवश्यक है। अन्तिम तिथि के बाद की अर्हता स्वीकार नहीं होगी।
 2. आवेदन-पत्रों के डाक द्वारा विलम्ब होने अथवा गुम होने का दायित्व महाविद्यालय का नहीं होगा।
 3. सभी मूल प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियां एवं छायाचित्र/फोटो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अथवा स्वप्रमाणित कर तीन प्रतियों में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे।
 4. साक्षात्कार की सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट पर अथवा अलग से दी जायेगी।
 5. केन्द्र, राज्य सरकार, अशासकीय महाविद्यालय अथवा किसी अन्य संस्था/विभाग के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने सेवा नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ अथवा साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
 6. **लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में आवेदित पदनाम का उल्लेख अवश्य करना होगा, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।**
 7. अपेक्षित सूचनाओं से रहित अपूर्ण आवेदन-पत्र तथा ऐसे आवेदन-पत्र जिस पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर नहीं हैं, समय से प्राप्त होने के बावजूद निरस्त कर दिये जायेंगे। बिना निर्धारित शुल्क/निर्धारित शुल्क से कम शुल्क वाले आवेदन-पत्र भी अस्वीकार कर दिये जायेंगे।
 8. अभ्यर्थी प्रत्येक पद के लिए पृथक्-पृथक् आवेदन कर सकता है।
 9. सीधी भर्ती हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेशों के आधार पर अनुमन्य होगा। जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
 10. ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी हो।
 11. नियुक्ति के समय अभ्यर्थी को एक प्रमाण पत्र कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित/विचाराधीन नहीं है और न ही उसे पहले कभी ऐसे किसी मामले में दंडित किया गया है, प्रस्तुत करना होगा।
 12. नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।
 13. आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
 14. महाविद्यालय को बिना कोई कारण बताए विज्ञापन/भर्ती प्रक्रिया को संशोधित/पुनर्निर्धारित/निलंबित/निरस्त करने का अधिकार है।
 15. अभ्यर्थियों की पात्रता उनके आवेदनो की स्वीकृति या अस्वीकृति, उनके चयन/साक्षात्कार के तरीके से सम्बन्धित सभी निर्णय लेने का अन्तिम अधिकार हर्ष विद्या मन्दिर (पी0जी0) कॉलेज, रायसी की प्रबन्ध समिति को होगा जिसे स्वीकार करना सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा।
 16. साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
 17. पूरी प्रक्रिया यूजीसी/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय परिनियमावली के प्रावधानों के अनुसार होगी।
- नोट:- उपरोक्त अर्हता /नियमों / विनियमों में किसी प्रकार की अस्पष्टता, असमानता/वाद विवाद होने की स्थिति में उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियम/विनियम/संशोधन ही मान्य होंगे। अभ्यर्थी राज्य सरकार के द्वारा जारी नियमों/विनियमों को मानने के लिए बाध्य होंगे।